



# श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(Approved By Government of Madhya Pradesh & UGC)

क्रमांक/R919/SKU/2024

छतरपुर, दिनांक : 19/11/2024

## अधिसूचना

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 17(1) तथा 17(2) तथा विश्वविद्यालय के परिनियम 07 की धारा 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत नवीन कुलगुरु की नियुक्ति कुलाधिपति जी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

कुलगुरु का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 04 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

कुलगुरु पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन एवं अभिलेख दिनांक 30/11/2024 सायं 05:00 बजे तक "कुलसचिव, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाइवे - 86, ग्राम - चौका, जिला - छतरपुर (म.प्र.) 471301" पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय के ई-मेल [estd.sku@gmail.com](mailto:estd.sku@gmail.com) पर भेज सकते हैं। अभ्यर्थी हेतु आवेदन प्रारूप तथा अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.skuindia.ac.in/> पर उपलब्ध है। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय

छतरपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/R919/01/SKU/2024

छतरपुर, दिनांक : 19/11/2024

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलाधिपति महोदय, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर को सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी/उपकुलगुरु जी, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी स्थापना शाखा, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन नस्ती।

कुलसचिव

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय

छतरपुर (म.प्र.)